प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

बच्चे समाज में सबसे कमजोर वर्ग हैं क्योंकि उन्हें वयस्कों द्वारा उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे वे हैं जो बेघर, भीख मांगने वाले, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, अनाथ, तस्करी किए गए या यौन शोषित, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले और ऐसे अन्य मामलों वाले बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 में प्रावधान है कि राज्य सरकार बच्चों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने विभिन्न कानून बनाए। भा.स. ने 2009 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना भी शुरू की थी जिसे 2014 में संशोधित किया गया था।

इस रिपोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों में कई कमियों को इंगित किया है, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए संस्थानों के निर्माण में विलम्ब और बच्चों के कल्याण के लिए अन्य उपाय जैसे बाल देखभाल संस्थानों को निधि प्रदान करना, बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनन मुक्त घोषित करना आदि। बाल देखभाल संस्थानों को कर्मचारियों की कमी, भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने माता-पिता को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऐसे बच्चों के पालक माता-पिता बनने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को भी लागू नहीं किया।